न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/421/2018

उनवान

1. जमना लाल पिता उगमा जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायण पिता घासी जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. कालु पिता घासी जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. देउ पत्नि घासी जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. मिश्री पिता पोलू जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. भॅवर लाल पिता उगमा जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. शिवराज पिता उगमा जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. सायरी बेवा उगमा जाट निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 2411/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश तिवाडी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी सख्या 1 से 7 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 22.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 190 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर191 रकबा13 बिस्वा, आराजी नम्बर 192 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 193 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 194 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 195 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा , आराजी नम्बर 510 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा जुमला किता 7 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा स्थित है । उक्त आराजियात खातेदारान के सम्मिलित दर्ज स्थित है। जिसमें वादी नम्बर 1 से 3 का 1/3 हक हिस्सा, वादी नम्बर 4 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 का 1/3 हक हिस्सा निहित है और इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं होने से आराजियात में फसल काश्त करने, फसल काटने व घास काटने तथा लगान जमा कराने इत्यादी में काफी परेशानी होती है वादीगण अपने हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाना चाहते हैं। लेकिन आराजियात का विभाजन नहीं होने से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वादीगण उक्त आराजियात का माफिक हिस्सा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को विभाजन कराने के लिए दिनांक 15.4.2017 को कहा मगर उनके द्वारा इंकार कर दिया गया। अतः उपरोक्त आराजियात का विभाजन अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का विभाजन करा, आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर, रकबा व लगान की तसरीह से बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री पारित की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री एवं बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.6.2018 को पारित की गई । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। इस कारण अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तत्समय अपीलार्थीगण को जानकारी नहीं हो पाई थी। रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 4 जब दिनांक 26.11.2018 को आराजी नम्बर 510 पर कब्जा करने आये एवं अपीलाण्ट ने मना किया तो रेस्पोडेण्ट ने कहा कि उक्त आराजियात का कानूनन बंटवाडां होकर हमारे नाम पर आ चुकी है। इस कारण हम कब्जा करेंगे। तब अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी की एवं नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 7 के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया । जिसमें आराजी संख्या 510 के संबंध में वादीगण ने वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे बिना ही विभाजन की डिक्री पारित करवाई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत अपीलाण्ट को कोई सम्मन ही प्राप्त नहीं हुआ तथा पत्रावली भी अपीलाण्ट की तामील हेतु नियत चली आ रही थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाथी की तामील कराये बिना ही एवं अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत कैम्प में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी संख्या 510 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के पूर्वज घासी जी जाट व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 मिश्री जी जाट द्वारा अपने हक हिस्से को अपीलाण्ट के पिता उगमा जाट को सप्रतिफल विक्रय कर दिया तब से ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 7 का कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मौके एवं कब्जे की स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही उसी दिन कैम्प में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण में सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. हमने प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/वादीगण ने विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 1.9.2017 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.9.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने का अंकन आदेशिका में करते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रतिवादीसंख्या 1, 2 व 4 के सम्मन प्रोपर तामील नहीं होने से पुनः सम्मन तलवाना पेश करने का आदेश दिया गया एवं प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.10.2017 को नियत किया गया । दिनांक 10.10. 2017 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.12.2017 नियत की गई। उसके उपरान्त आगामी तीन तारीख पेशी पर कोई कार्यवाही प्रकरण में नहीं हो पाई । तारीख पेशी दिनांक 30.1.2018 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.2.2018 नियत की गई। दिनांक 27.2.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2/अपीलाण्ट के सम्मन पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 3. 4.2018 नियत की गई । दिनांक 3.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.7.2018 नियत की गई। इस आदेशिका पर मिश्री लाल के हस्ताक्षर उपस्थित स्वरूप कराये गये थे। दिनांक 10.7.2018 को उपस्थित रहने बाबत प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किये गये हैं अथवा नहीं एवं उसकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रोपर तामिल हुई है या नहीं इस बाबत पत्रावली पर कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं सीधे ही प्रकरण को 21.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट लाम्बा पर रखा जाना प्रकट होता है । उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से व तारीख पेशी परिवर्तन बाबत पक्षकारान को कोई सूचना पत्र जारी कर सूचित किया जाना भी पत्रावली से प्रकट होता है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 2/अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। लोक अदालत कैम्प कोर्ट लाम्बा में दिनांक 21.6.2018 को प्रकरण में निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई एवं तहसीलदार हुरडा से कैम्प कोर्ट में ही बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री भी कैम्प कोर्ट में उसी दिनांक को पारित की गई है।

9. अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये एवं न ही उसे सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई है। बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाने का प्रावधान है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये था एवं यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी मौके पर ही किया जाना चाहिये था। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय सभी पक्षकारान का पृथक पृथक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्सा दर्शाते हुए नक्शा तैयार कर उसमें भिन्न भिन्न रंग भरा जाकर पृथक पृथक हिस्सा सुस्पष्ट किया जाना चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है एवं न ही उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की गई थी। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2/अपीलार्थी की तलबी लंबित रहने के बावजूद एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बगैर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जिसका समर्थन नही किया जा सकता है।

10. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.6.2018 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना के तहत तैयार करवाया जाकर उसके उपरान्त विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.9.19 को उपस्थित रहें।

11. निर्णय आज दिनांक 22.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)
सत्यमेव जयते